भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 139*
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
असम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति

***139. श्री अमरसिंग टिस्सो:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत असम में विशेष रूप से कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में निर्मित घरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन जिलों के पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और संपर्क जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त योजना के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में घरों के निर्माण के लिए कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है, और

(ङ) क्या सरकार इन जिलों में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसी क्षेत्र-विशिष्ट संशोधन या नवाचार पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

असम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 139* (19वां स्थान) में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के पात्र परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

03.02.2025 तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस मंत्रालय ने असम राज्य में कुल 1,76,643 आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1,69,055 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 1,19,743 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे हो चुके आवासों का विवरण तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत इन जिलों में जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

आवासों के निर्माण की समय-सीमा विभिन्न घटकों जैसे कि भार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधि की व्यवस्था आदि पर निर्भर करती है।

सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में कोई बदलाव किए बिना योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की सलाह दी गई है, ताकि सभी आवास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को चार

घटक अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ऋण सबद्ध योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराए लेने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं ।

इसके अलावा, असम में 0.10 लाख आवासों सहित 6 लाख से अधिक आवासों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन उन 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया है, जिन्होंने पीएमवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशा-निर्देश पीएमवाई-यू 2.0 के बीएलसी और एएचपी घटक के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 2.25 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से बढ़ी हुई दर पर केंद्रीय सहायता प्रदान करते हैं। अभी तक, पीएमवाई-यू 2.0 के तहत असम राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित किफायती आवास ईको तंत्र विकसित करने के लिए समयबद्ध आधार पर सार्वजनिक/निजी एजेंसियों के लिए विभिन्न सुधारों और प्रोत्साहनों को शामिल करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "सस्ती आवास नीति" तैयार करनी है।

नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, नवीन डिजाइन और निर्माण पद्धतियों और परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) की स्थापना की गई है। टीआईएसएम पारंपरिक निर्माण सामग्री पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री के उपयोग को मुख्य रूप से अपनाने और उनके प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को तैयार करने और इन्हें अपनाने की सुविधा प्रदान करता है।

*****

13-02-2025 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. संख्या 139* के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत कार्बी आंगलोंग और दीमा हसावो जिलों सहित असम राज्य में इसके शुरू होने के बाद से अब तक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रगति जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता

क्र. सं.	विवरण		असम	कार्बी आंगलोंग	दीमा हसाओ
1	योजना की शुरुआत से अब तक आवासों का निर्माण (संख्या)	स्वीकृत	1,76,643	14,522	4,052
2		निर्माणाधीन	1,69,055	14,367	4,043
3		पूर्ण/ सौंपे जा चुके	1,19,743	9,834	2,554
4	योजना की शुरुआत से अब तक केंद्रीय सहायता का विवरण (करोड़ रुपए में)	स्वीकृत	2,674.26	217.91	60.78
5		जारी की गई	2,105.42	166.03	47.38
7		उपयोग किया गया	2,061.74	155.91	45.56
6	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2021-25) के दौरान जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	जारी की गई	1,168.14	121.11	27.37
8		उपयोग किया गया	1,083.35	105.21	22.96

*****